न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 93/2017 (225 आरटीए) गीतादेवी बनाम राजस्थान सरकार

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2017/00008)

गीतादेवी पत्नी भगवानाराम जाति विश्नोई, निवासी ग्राम पन्नानगर, माडपुरा तहसील बाप जिला जोधपुर।

..... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बाप जिला जोधपुर।

..... रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप दिनांक 26.05.2017 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 118/2016

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई।

2 रेस्पोडेंट की ओर से अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 28.06.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 118/2016 में पारित आदेश दिनांक 26.05.2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम भी पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थिया अपीलांट की कब्जाशुदा अधिकारों की कृषि भूमि खसरा नं. 124 रकबा 396 बीघा 8 बिस्वा में से 25 बीघा भूमि ग्राम पन्नानगर पटवार क्षेत्र टेपू में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार स्थित है। उक्त विवादग्रस्त भूमि पर प्रार्थिया का पिछले कई वर्षों से लेकर आज दिन तक उक्त खसरान् की भूमि पर प्रार्थिया का कब्जा काश्त निर्बाध रूप से चला

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

आ रहा है तथा प्रार्थिया ने उक्त भूमि में अपनी रहवासीय ढाणी, पानी का टांका इत्यादि बनाए हुए हैं जिसमें अपने परिवार सहित निवास कर रही है। प्रार्थिया का कब्जा काश्त पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है और प्रार्थिया का प्रत्येक वर्ष की खसरा परिवर्तन सूची में नाम दर्ज है और प्रत्येक वर्ष तहसीलदार द्वारा 91 की कार्यवाही की गई। अतः ताफैसला मूल दाा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थिया के पक्ष में जारी करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में दर्ज किया गया। रेस्पो. की ओर से राजकीय पैरोकार नायब तहसीलदार बाप की ओर से प्रार्थना पत्र का जबाब पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के प्रार्थना पत्र को अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2017 के जरिए खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है। अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिए अपील के साथ धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया है।

3 उक्त अपील बउज्र मियाद दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के सिद्धांतों पर विधिवत गौर किए बिना ही प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया जबकि मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर अवसर दिए बगैर पत्रावली को लोक अदालत कैंप टेपू में रखकर अपीलार्थी के अधिवक्ता की उपस्थिति बताकर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जबकि वास्तव में अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित ही नहीं थे। लोक अदालत में केवल उन्हीं मामलों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें पक्षकारान अथवा उनके अधिवक्ता सहमत हों। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली जबाब हेतु लंबित थी दिनांक 20.04.2017 से उक्त पत्रावली में आगामी तारीख पेशी 10.05.2017 को मुकर्रर की गई दिनांक 10.05.2017 से पूर्व ही बिना किसी प्रार्थना पत्र पेश किए पत्रावली को दिनांक 27.04.2017 को पेशी पर लेकर आगामी तारीख दिनांक 26.05.2017 को लोक अदालत कैंप में रख दी गई तथा दिनांक 26.05.2017 को ही अपीलाधीन आदेश पारित कर प्रार्थना पत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

खारिज कर दिया गया। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को तय करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रथम दृष्टया केस सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति इन तीनों बिंदुओं को तय करना आवश्यक था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली को लोक अदालत कैंप में रखकर बिना कोई कारण दर्शाए प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2017 को निरस्त करने का निवेदन किया तथा वादिनी का प्रार्थना पत्र बाबत जारी करने अस्थाई निषेधाज्ञा बहक अपीलार्थी विरुद्ध रेस्पोडेंट जारी करने का भी निवेदन किया।

अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए कथन किया कि पत्रावली में तारीख पेशी दिनांक 10.05.2017 नियत थी। इस नियत दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय में पता किया तो बताया गया कि उक्त पत्रावली को लोक अदालत में रखेंगे तब पक्षकार को नोटिस जारी कर देंगें नोटिस आने पर तारीख पेशी मालूम पड़ जाएगी। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं किया बिना नोटिस के ही पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैंप में रखकर बाले बाले अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया अभी हाल ही में दिनांक 31.07.2017 को अपीलार्थी द्वारा अपने अधिवक्ता से संपर्क करने पर पता हुआ कि उक्त पत्रावली को लोक अदालत कैंप टेपू में दिनांक 26.05.2017 को निर्णित कर दिया है। जिसकी नकल लेने पर दिनांक 31.07.2017 को अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्राप्त हुई अतः अपील पेश करने में हुई देरी को माफ करते हुए धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार करने का निवेदन किया।

5 रेस्पोडेंट की ओर से अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी, ने बहस में कथन किया कि अपील मियाद बाहर है। अपीलांट के धारा–5 के प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन के अनुसार अपीलांट को दिनांक 10.05.2017 को ही मालूम पड़ गया था कि प्रकरण को लोक अदालत में रखा जाएगा। राजस्व लोक अदालत के शिविरों की सूचना भी समाचारों पत्रों एवं अन्य माध्यमों से की जा चुकी थी। लोक अदालत में उभयपक्षकारान उपस्थित हुए अतः अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को उसी दिन हो गई थी। अतः अपीलांट का धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। रेस्पों. के अधिवक्ता ने मैरिट पर बहस करते हुए कथन किया कि प्रकरण में अपीलांट अतिक्रमी की हैसियत से वादग्रस्त भूमि पर कुछ समय के लिए काबिज हो सकती है लेकिन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

तहत अतिक्रमी को बेदखल किया जाता रहा है अतः अपीलांट का कब्जा लगातार नहीं है। अतिक्रमी होने के कारण उसके पक्ष में टाइटल नहीं हैं तथा केवल मात्र कब्जे के आधार पर टाइटल का हकदार अतिक्रमी नहीं हो सकता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिंदु अपीलांट के विरुद्ध होने से प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हैं। अतः अपील मैरिट पर भी खारिज किए जाने योग्य है। तदनुसार अपील खारिज करने का निवेदन किया।

6 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

7 इस प्रकरण अपील देरी से पेश की गई है। अपीलांट के प्रार्थना पत्र में अंकित है कि पत्रावली में तारीख पेशी दिनांक 10.05.2017 नियत थी। इस नियत दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय में पता किया तो बताया गया कि उक्त पत्रावली को लोक अदालत में रखेंगे तब पक्षकार को नोटिस जारी कर देंगें नोटिस आने पर तारीख पेशी मालूम पड़ जाएगी। इससे स्पष्ट है कि पत्रावली को लोक अदालत में रखा जाना था तथा अपीलाधीन आदेश में भी उभयपक्षकारान का उपस्थित होने का हवाला दिया गया है अतः अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को कैंप के दिन ही होना जाहिर होता है। अतः प्रार्थी के धारा–5 के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य प्रमाणित नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है एवं अपील मियाद बाहर मानी जाती है।

अपील को मैरिट के बिंदु पर भी देखा गया। प्रकरण में रेस्पो. की ओर से दिनांक 20.04.2017 को जबाब पेश किया जा चुका है जिसकी पुष्ठि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से भी होती है। अतः पत्रावली पर केवल बहस सुनी जानी बकाया थी। इस प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत कैंप कोर्ट टेपू में निर्णित कर दिया गया। अपीलांट का ऐतराज है कि उस दिन अपीलांट के वकील उपस्थित नहीं थे फिर भी उनकी उपस्थिति दर्ज करके प्रकरण को निर्णित किया गया है। लेकिन अपीलांट का यह ऐतराज इसलिए मानने योग्य नहीं हैं क्योंकि उस दिन राजस्व लोक अदालत कैंप था तथा उस दिन उभयपक्षकार के उपस्थित होने का हवाला भी अंकित है। इस प्रकरण में यह न्यायालय रेस्पों. के अधिवक्ता की बहस से पूर्णतया सहमत है कि अपीलांट अतिक्रमी की हैसियत से वादग्रस्त भूमि पर कुछ समय के लिए काबिज हो सकती है लेकिन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत अतिक्रमी को

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

बेदखल किया जाता रहा है अतः अपीलांट का कब्जा लगातार नहीं है। अतिक्रमी होने के कारण उसके पक्ष में टाइटल नहीं हैं तथा केवल मात्र कब्जे के आधार पर टाइटल का हकदार अतिक्रमी नहीं हो सकता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिंदु अपीलांट के विरुद्ध होने से प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हैं। अतः यह न्यायालय अपीलाधीन आदेश में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है।

8 अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप का अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2017 का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है।

28/6/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 28.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/6/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर